रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date
GOVT. OF INDIA

सं. 316] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 1, 1996/आश्विन 9, 1918
No. 316] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 1996/ASVINA 9, 1918

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1996

सा. का. नि. 451(अ).—कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का अधिनियम सं. 8) की धारा 21 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम :—

(1) इन नियमों को कर्मकार प्रतिकर (कार्यवाही स्थल) नियम, 1996 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम अक्तूबर, 1996 के पहले दिन से प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषाएं :-इन नियमों में :—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923;

(ख) फार्म से अभिप्रेत है इन नियमों के साथ जोड़ा गया एक फार्म;

(ग) "आयुक्त" से अभिप्रेत है धारा 20 के अधीन नियुक्त एक आयुक्त;

3. आवेदन पर कार्रवाई :—

(1) धारा 19 अथवा धारा 22 के अधीन किसी आवेदन पर किसी आयुक्त के समक्ष अथवा उसके द्वारा उस क्षेत्र में कार्रवाई की जाएगी जिसमें :—

(क) दुर्घटना घटी जिसके परिणामस्वरूप चोट लगी; अथवा

(ख) कर्मकार अथवा उसकी मृत्यु होने की स्थिति में प्रतिपूर्ति का दावा करने वाले आश्रित सामान्यत: निवास करते हैं, अथवा

(ग) नियोक्ता का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है ।

परन्तु यह कि उस क्षेत्र की अधिकारिता, जिसमें कि दुर्घटना घटी, धारित करने वाले आयुक्त के अतिरिक्त किसी आयुक्त के समक्ष अथवा उसके द्वारा किसी मामले पर कारवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उस क्षेत्र की अधिकारिता वाले आयुक्त को और संबंधित राज्य सरकार को फार्म-क में वह अपना नोटिस न दे दे ।

(2) आयुक्त धारा 21(1) (ख) अथवा (ग) के अधीन कार्यवाही नए सिरे से शुरु कर सकता है अथवा धारा 21 (1) (क) के अधीन शुरू की गई पिछली कार्यवाही को जारी रख सकता है मानो कि वही कार्यवाही अथवा उसका कोई भाग उसके समक्ष लाया गया था, यदि वह संतुष्ट होता है कि इससे पक्षकारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4. अभिलेख अथवा धन का अन्तरण :—

(1) यदि अधिनियम के अधीन किसी मामले पर किसी ऐसे आयुक्त के समक्ष अथवा उसके द्वारा, जो उस क्षेत्र, जिसमें दुर्घटना घटी, की अधिकारिता वाले आयुक्त के अलावा है, कार्रवाई की जानी अपेक्षित है, तो वह उस मामले के उचित निपटान के लिए फार्म-ख में, कोई अभिलेख अथवा धन जो पश्चात् कथित के पास शेष हो सहित एक विस्तृत रिपोर्ट की मांग कर सकता है और ऐसा अनुरोध प्राप्त करने पर वह अनुपालन करेगा;

परन्तु यह कि यदि मुद्दों को विरचित करने के लिए अथवा प्रतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करने के लिए उस क्षेत्र, जिसमें दुर्घटना घटी, में कोई आगे पूछताछ की जानी जरुरी है तो वह आयुक्त जिसके समक्ष आवेदन दायर किया गया है, उस क्षेत्र के आयुक्त, जिसमें दुर्घटना घटी, से ऐसी पूछताछ करने के लिए और ऐसे पूछताछ के प्रयोजन के लिए ऐसे नोटिस अथवा आदेश तामील करने के लिए अपेक्षित कर सकता है ।

(2) धारा 8 के अधीन एक आयुक्त के पास जमा धन धनप्रेषण अंतरण रसीद अथवा धन आदेश अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दूसरे आयुक्त के पास प्रेषित किया जाएगा ।

प्रपत्र-"अ"

(नियम-3 देखें)

नोटिस

जबकि.....(आवेदक) द्वारा..... के विरुद्ध मुआवजे के लिए एक दावा किया गया है और उक्त आवेदक ने दावा किया है कि वह कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 21(1) के खण्ड (ख)/खण्ड (ग) के अंतर्गत एक आवेदन करने का हकदार है,

और जबकि मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त आवेदक उपर्युक्त दावा दायर करने का हकदार है,

अत: अब कर्मकार प्रतिकर आयुक्त...../..... सरकार यह नोटिस देते हैं कि मैं अधिनियम के अंतर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवेदक के दावे को निपटाने का प्रस्ताव करता हूं ।

दिनांक :

आयुक्त

प्रपत्र-'ब'

(नियम-4 देखें)

सेवा में

.....

.....

.....

महोदय,

उस दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट जो ..... को ..... में हुई (यहां परिसरों के ब्यौरे भरें) और जिसके परिणामस्वरूप कामगार की मृत्यु/विकलांगता हुई निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता है :—

1. (क) कामगार का नाम,

(ख) लिंग, आयु और मासिक मजदूरी,

(ग) रोजगार की प्रकृति,

(घ) नियोजक का नाम,

(ङ) कामगार/आश्रितों का डाक का पूरा पता
(स्थानीय और स्थायी दोनों)

(च) उस कारखाना/प्रतिष्ठान का डाक का पूरा पता
जिसमें इसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है ।

2. कामगार की मृत्यु/विकलांग होने संबंधी परिस्थितियां :—

(क) दुर्घटना का समय

(ख) दुर्घटना का स्थान

(ग) वह ढ़ग जिसमें मृतक उस समय नियुक्त था/थे

(घ) दुर्घटना का कारण

3. धारा 8 के अंतर्गत नियोजक द्वारा आयुक्त के पास जमा करवायी गयी धनराशि ।

4. (क) दिए गए मुआवजे, यदि कोई हो, के ब्यौरे,

(ख) मृत कामगार के आश्रितों के लाभार्थ निवेश की गयी धनराशि के ब्यौरे ।

5. नीचे दिए गए अनुसार दस्तावेज (मूल रूप में) प्रस्तुत किए गए :—

(क) मृत्यु प्रमाण-पत्र,

(ख) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी का विकलांगता प्रमाण-पत्र,

(ग) नियोजक द्वारा मुआवजा जमा कराने की रसीद,

(घ) संवितरण संबंधी विवरण,

(ङ) कामगार/आश्रितों से मुआवजे की प्राप्ति की रसीद,

(च) करार का ज्ञापन, यदि कोई हो ।

दिनांक :

आयुक्त

[फा. सं. एस-37013/1/94-एस. एस.-I]

आर. के. सैनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 1996

G. S. R. 451 (E).—In pursuance of the provisions contained in sub-section (1) of Section 21 of the Workmen's Compensation Act, 1923 (Act No. 8 of 1923) the Central Government hereby makes the following rules namely :—

1. Short title :—

(1) These rules may be called the Workmen's Compensation (Venue of Proceedings) Rules, 1996.

(2) These Rules shall come into force from the 1st Day of October, 1996.

2. Definitions :—In these rules,

(a) "The Act" means the Workmen's Compensation Act, 1923;

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) "Commissioner" means a Commissioner appointed under Section 20.

3. Processing of an application :—

(1) an application under section 19 or section 22 shall be processed before or by a Commissioner for the area in which—

(a) the accident took place which resulted in the injury; or

(b) the workmen or in case of his death the dependants claiming the compensation ordinarily reside; or

(c) the employer has his registered office.

Provided that no matter shall be processed before or by a Commissioner other than the Commissioner having the jurisdiction over the area in which the accident took place without his giving notice in Form-A to the Commissioner having jurisdiction over the area and the State Government concerned.

(2) The Commissioner under Section 21 (1) (b) or (c) may initiate proceedings afresh or he may continue the previous proceedings initiated under Section 21 (1) (a) as if the same or any of its part had been taken before him if he is satisfied that the interest of the parties shall not thereby be prejudiced.

4. Transfer of records or money :—

(1) If any matter under the Act is required to be processed before or by a Commissioner other than the Commissioner having juridiction over the area in which the accident took place the former may for the proper disposal of the matter call for in Form-B a detailed report including transfer of any records or money remaining with the latter and on receipt of such a request he shall comply with the same;

Provided that if any further enquiry is necessary in the area in which the accident took place for framing of issues or for determining the amount of compensation, the Commissioner, before whom the application has been filed, may require the Commissioner of the area in which the accident took place to conduct such enquires and to serve such notices or orders as may be necessary for the purpose of such enquires.

(2) Money deposited with one Commissioner under section 8 shall be transmitted to another Commissioner either by remmittance transfer receipt or by money order or by bank cheque.

FORM 'A'

(See Rule-3)

Whereas a claim for compensation has been made by————————(applicant) against ————————

and the said applicant has claimed that he is entitled to file an appliction under clause (b)/ (c) of section 21 (1) of the Workmen's Compensation Act, 1923;

And whereas the undersigned is satisfied that the said applicant is entitlted to file the aforesaid claim;

Now, therefore, the Commissioner for Workmen's Compensation————————/Government of ————————

is hereby given notice that the undersigned proposes to settle the claim of the applicant as provided under the Act.

Dated : Commissioner

FORM-'B'

(See Rule-4)

To

————————

————————

————————

Sir,

The report about an accident which occurred on ———————— at————————(here enter details of premises) and which resulted in death/disablement of the workman is furnished as given below :—

1. (a) Name of the Workman,

(b) Sex, Age and monthly wage,

(c) Nature of employment,

(d) Name of the employer.

(e) Full postal address of the workman/dependants (local and permanent both).

(f) Full postal address of the factory/establishment where its registered office is located.

2. The circumstances leading to death/disablement of the workman :—

(a) Time of the accident.

(b) Place where the accident occurred.

(c) Manner in which deceased was/were employed at that time.

(d) Cause of the accident.

3. The amount of money deposited by the employer with the Commissioner under Section 8.

4. (a) Details of compensation paid, if any.

(b) Particulars of money invested for the benefit of dependants of deceased workman.

5. Documents forwarded (in original) as under :—

(a) Death certificate.

(b) Disablement certificate from the competent medical authority.

(c) Receipt for Deposit of Compensation by the employer.

(d) Statement of Disbursement.

(e) Receipt of compensation from the workman/dependants.

(f) Memorandum of Agreement, if any.

Dated :

COMMISSIONER
[File No. S-37013/1/94-SS.I.]
R.K.SAINI, Jt.Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996